न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो(तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 178 वर्ष 2016

आवेदिका– गिरजा देवी
ग्राम– तुसको, टोला जरवाटॉड
थाना– चतरोचटटी, जिला–बोकारो

केता– भीखो महतो
ग्राम– गुरुडीह
थाना– चतरोचटटी, जिला–बोकारो

आदेश की कम सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03

आदेश

यह वाद आवेदिका गिरजा देवी पति गणेश महतो, ग्राम– गुरुडीह, टोला जरवाटॉड थाना– चतरोचटटी जिला–बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

C.C. Issued 14/3/17

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
गुरुडीह	13	04	425	71 डी0	0.08 डी0	आ0 योग्य

को वे मकान मरम्मत हेतु मो0 50,000/–(पचास हजार)रूपये में केता– भीखो महतो, पिता लालमन महतो ग्राम– गुरुडीह टोला जरवाटॉड थाना–चतरोचटटी जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 564/रा0 दिनांक 21.10.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्व कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 1665 दिनांक 22.11.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिकेता एवं केता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य है तथा पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिकेता ग्राम– तुसको, टोला जरवाटॉड थाना– चतरोचटटी, जिला–बोकारो तथा केता ग्राम गुरुडीह थाना चतरोचटटी जिला बोकारो का निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का खरीदगी जमीन है एवं उसकी जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ सं0 58/2 दुलारी देवी के नाम से चल रही है तथा वर्ष 2015–16 तक लगान रसीद निर्गत है। बिकेता को यह भूमि केवाला द्वारा हासिल है जिसका केवाला सं0–3397, एवं दिनांक 04.07.1985 है।
03. जमाबन्दीधारी रैयत से बिकेता स्वयं है। बिकी की जाने वाली भूमि विकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं विकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिकी करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता गिरजा देवी के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन खरीदगी जमीन है जिसका केवाला सं0 3397 तथा दिनांक 04.07.1985 है तथा उक्त जमीन की जमाबन्दी पंजी पंजी–II में दुलारी देवी के नाम से चल रही है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2015–16 तक लगान रसीद निर्गत है। बिकी वाली जमीन खरीदगी जमीन है। जिसे वे आवश्यकता वश बेच रही है।

केता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं :–

01. विकेता– केवाला की छायाप्रति जिसका केवाला सं0 3397 तथा दिनांक 04.07.1985 है दुलारी देवी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति तथा स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. केता– स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष कुर्मी जाति के हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता गिरजा देवी ग्राम, तुसका टोला जरवाटॉड एवं केता ग्राम गुरूडीह तथा एक ही थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिकेता के खरीदगी जमीन है। जिसे आवश्यकता वश बेचना चाहते है।

अतः आवेदक– गिरजा देवी पति गणेश महतो ग्राम तुसको थाना चतरोचटटी जिला बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उ0 सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	प0 सीमा
गुरूडीह	04	425	71 डी0	0.08 डी0	परती कदीम	नीज बिकेता	पार्वती देवी	दुलारी देवी

कुल आठ डिसमिल जमीन मात्र।

मो0 52500/–(बावन हजार पॉच सौ) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता भीखो महतो पिता लालमन महतो ग्राम गुरूडीह थाना चतरोचटटी जिला –बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्ष को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित ।

17/06/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)

17/06/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 07:01:32 -08:00
Location: 192.168.1.35